फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बाबुलाल — **विपक्षी : श्री लेहरीलाल**

किस्म मुकदमा — 212 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 39/21**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 15.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प सिन्दू में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण व विपक्षीगण उपस्थित। मूल वाद स्वीकार होकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका हैं। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में मूल वाद स्वीकार होकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका हैं। मूल वाद में बंटवाडा होकर अन्तिम डिक्री जारी होने तक उभय पक्ष को मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति से पाबंद करने हेतु सहमत हैं। अतः उभय पक्ष आपस में सहमत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर किया जाता है कि मौजा माण्डुथल पटवार हल्का सिन्दू की आराजी नम्बर 104, 560 कुल किता 2 रकबा 4.2249 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1018, 1019, 115, 680, 681, 682 किता 6 रकबा 1.5055 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद में बंटवाडा होकर अन्तिम डिक्री जारी होने तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 12:55:50 IST
Reason: SelfAttested